राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4( )/ग्रावि/नरेगा/सा.नि.वि./तकमीना/09–10 जयपुर, दिनांक : 15/12/09

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त जिले।

विषय :– नरेगा में व्यक्तिगत लाभ के कार्यों हेतु स्वीकृति जारी करने बाबत।
संदर्भः– विभाग के पत्र क्रमांक एफ 4()/ग्रावि/नरेगा/सा.नि.वि./तकमीना /2009–10 दिनांक 4.12.2009

महोदय,

कृपया विभाग द्वारा जारी समसंख्यक पत्र दिनांक 04.12.09 का सन्दर्भ करावें, जिनके द्वारा नरेगा में व्यक्तिगत लाभ हेतु पानी की डिग्गी निर्माण, जल हॉज निर्माण, खेत तलाई/ फार्म पोण्ड निर्माण, टांका निर्माण, बागवानी पौधारोपण कार्य तथा कूप जल पुनर्भरण ढांचा निर्माण कार्य के माडल एस्टीमेट संलग्न कर जिले को नरेगा बी.एस.आर. के अनुसार परिवर्तित कर स्वीकृतियां जारी करने हेतु निर्देशित किया गया था।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ये माडल तकमीने मात्र मार्गदर्शिका के रूप में बनाये गये हैं। ऐसा नहीं हो कि जिलों में कार्यरत अधिशाषी अभियंता/ वरिष्ठ तकनीकी सहायक/ कनिष्ठ तकनीकी सहायक इन्हीं के आधार पर हूबहू स्वीकृतियां जारी कर दें। उक्त तकमीनों को जिले की नवीनतम अनुमोदित नरेगा बी.एस.आर. से पुनः तैयार करावें। यदि किन्हीं आइटमों की दरें नरेगा बी.एस.आर. में नहीं हो तो जिले की दर अनुसूची अथवा सा.नि.वि./ सिंचाई/पी.एच.ई.डी./ वन विभाग की दरों में ठेकेदार का लाभ घटाते हुए ली जा सकती हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की ऑपरेशनल गाईडलाईन–2008 तृतीय संस्करण के बिन्दु 6.7.3 की अनुपालना भी की जावे।

उदाहरण के तौर पर कूप पुर्नर्भरण ढांचा निर्माण कार्य में सा.नि.वि. वृत जयुपर शहर की दरें ली गई हैं, उक्त दरों को नवीनतम नरेगा बी.एस.आर. की दरों से संशोधित कर तकमीने तैयार किये जाकर स्वीकृतियां जारी की जानी है। अन्य कार्यों में भी कार्यस्थल पर वास्तव में जिस प्रकार की मिट्टी एवं अन्य सामग्री उपलब्ध हो, उसी की दर ली जावे। आपके जिले की वर्ष 2010–11 की वार्षिक कार्य योजना भी तैयार हो गई है, अतः आपके अभियंताओं/ तकनीकी सहायक को निर्देशित किया जाये कि वे क्षेत्र में जाकर वास्तविक स्थिति के अनुसार तकमीने तैयार करना प्रारम्भ करें।

D:\Letter 24-11-09.doc

P.T.O.

जिलों की भौगोलिक परिस्थितियों एवं सामग्री की उपलब्धता को देखते हुए कार्य की उच्च गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए स्थानीय परिस्थिति अनुसार माडल तकमीनों में लिये गये कोई आइटम यदि घटाने अथवा बढाने की आवश्यकता महसूस होती है तो जिला स्तर पर एक तकनीकी कमेटी का गठन कर आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन कार्य की साइज व क्षमता वही रहेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(रामनिवास मेहता)
परियोजना निदेशक, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा. वि. एवं पं. राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
3. आयुक्त, कृषि विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, उद्यान विभाग, जयपुर।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि पत्र की प्रति जिले के समस्त विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस को उपलब्ध करावें।
6. श्री मुकेश विजय, अधिशाषी अभियंता, ईजीएस मुख्यालय को भेजकर लेख है कि पत्र की प्रति वेबसाईट पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।
7. अधिशाषी अभियंता, नरेगा, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
8. उपनिदेशक, कृषि विस्तार / उद्यान विभाग, समस्त राजस्थान।
9. ईजीएस कार्यालय, जयपुर के समस्त अधिकारीगण।
10. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक, ईजीएस

D:\Letter 24-11-09.doc